न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

(42)

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 607-तीन/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 7-9-2013 - पारित द्वारा - तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा - प्रकरण कमांक 400 अ-6/2012-13

श्रीमती पदमा प्रभा जैन पत्नि हेमकुमार जैन
निवासी प्रेमनगर सतना, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार हुजूर जिला रीवा ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री श्रवण पाण्डेय)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 10-2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्र0क0 400 अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 07-09-2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने पॅजीकृत विकय पत्र 3-1-1982 से ग्राम समान की भूमि सर्वे कमांक 325/2/2 कय की। विकय पत्र के आधार पर हलका पटवारी ने नामान्तरण पॅजी के सरल कमांक 168 पर प्रविष्टि की। प्रविष्टि करते समय हलका पटवारी से भूमि सर्वे कमांक 325/2/2 के बजाय भूमि सर्वे नंबर 518/2/2 लिख दिया गया एंव आवेदक का नामांत्रण स्वीकार हो गया। लिपिकीय त्रृटि परिलक्षित होने के कारण तहसीलदार हुजूर ने नामान्तरण पॅजी पर दिये गये आदेश को पुनरावलोकन में लेने की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी, मेहर से मॉगी। अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त

होने पर तहसीलदार तहसील हुजूर ने प्रकरण कमांक 400 अ-6/2012-13 में आदेश दिनांक 07-09-2013 पारित किया तथा भूलवश हुई लिपिकीय त्रृटि को दुरूस्त कर दिया। तहसीलदार हुजूर के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी हैं।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने लेखी तर्क प्रस्तुत किये । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार मेहर के प्रकरण कमांक 400 अ-6/2012-13 में आदेश दिनांक 07-09-2013 तथा तहसीलदार मेहर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 13-8-14 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार मेहर का आदेश दिनांक 07-09-2013 पुर्नविलोकन प्रकरण में पारित आदेश है। मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 151 में पुर्नविलोकन आदेश के विरूद्व अपील/निगरानी के निम्न प्रावधान हैं :-

" यदि पुर्नविलोकन का आवेदन खारिज कर दिया तब धारा 46 के खंड (ख) के अनुसार कोई अपील नहीं हो सकेगी। परन्तु जब पुनर्विलोकन में किसी आदेश को फेरफारित कर दिया जाए अथवा उलट दिया जाय तब संहिता की धारा 44 की उपधारा (3) के अनुसार प्रथम तथा द्वित्तीय अपीलें उसी प्रकार हो सकेंगी जिस प्रकार किसी मूल आदेश के विरूद्व होती हैं। "

स्पष्ट है कि जब आवेदक को नीचे के न्यायालयों में तहसीलदार तहसील हुजूर के प्रकरण कमांक 400 अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 07-09-2013 के विरूद्व अपील का उपचार प्राप्त है, सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी में विचार नहीं किया जा सकता। अतः निगरानी इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर